रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 64] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 17, 1973/माघ 28, 1894

No. 64] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 17, 1973/MAGHA 28, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th February 1973

S.O. 100(E).—The following Order made by the President is published for general information.

ORDER

Whereas by a Proclamation issued on the 18th January 1973, under clause (1) of article 356 of the Constitution of India it has been declared that the powers of the Legislature of the State of Andhra Pradesh shall be exercisable by or under the authority of Parliament;

And whereas the Legislature of that State has authorised expenditure from the Consolidated Fund of the State for the services of the financial year 1972-73;

And whereas the amount so authorised is found to be insufficient in cases of certain services and also a need has arisen in certain cases for meeting additional expenditure not contemplated in the Annual Financial Statement of that year;

And whereas the House of the People is not in session and it is necessary to authorise expenditure from the Consolidated Fund of that State pending the sanction of such expenditure by Parliament;

Now, therefore, in pursuance of sub-clause (c) of clause (1) of article 357 of the Constitution,

I, V. V. Giri, President of India, hereby authorise that, pending the sanction by Parliament, expenditure of sums not exceeding those specified in column 3 of the Schedule annexed hereto and amounting in the aggregate to the sum of five crores, eighty lakhs and ten thousands rupees may be incurred from and out of the Consolidated Fund of the State of Andhra Pradesh towards defraying the several charges during the financial year 1972-73 in respect of the services and purposes specified in column 2 of the said Schedule.

THE SCHEDULE

Serial Number	Demand No. and services and purposes.	Sums not exceeding		
		Expenditure charged on the Consolidated Fund of the State of Andhra Pradesh	Other Expenditure to be met out of the Consolidated Fund of the State of Andhra Pradesh.	Total
1	2		3	
		Rs.	Rs.	Rs.
1.	XVII—Education	..	10,46,000	10,46,000
2.	XIX—Public Health and Family Planning	..	43,20,000	43,20,000
3.	XXV—Community Development Projects National Extension service and Local Development Works.	..	75,00,000	75,00,000
4.	XXVII—Other Miscellaneous Social and Development Organisations.	..	1,27,81,000	1,27,81,000
5.	XLIX.—Capital Outlay on Irrigation.	..	2,86,69,000	2,86,69,000
6.	LVI.—Loans and advances by the State Government.	..	36,94,000	36,94,000
	TOTAL	..	5,80,10,000	5,80,10,000

V. V. GIRI,
PRESIDENT.

[No. F. 3(15)-B/73]
B. MAITHREYAN,
JOINT SECRETARY.

वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 1973

का० आ० 100(अ).—राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया निम्नलिखित आदेश आम सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है :

आदेश

चूंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के खण्ड (i) के अन्तर्गत 18 जनवरी 1973 को जारी की गई उद्घोषणा के द्वारा यह घोषित किया गया है कि आंध्र प्रदेश राज्य के विधान-मण्डल की शक्तियों का प्रयोग अब संसद् द्वारा या संसद् के प्राधिकार के अन्तर्गत किया जायेगा;

और चूंकि उस राज्य के विधानमण्डल ने 1972–73 के वित्तीय वर्ष की सेवाओं के लिए उस राज्य की समेकित निधि से व्यय किये जाने का प्राधिकार दे दिया है ;

और चूंकि कुछ सेवाओं के मामलो में इस प्रकार प्राधिकृत व्यय की रकम कम पड़ गई है और कुछ मामलों में ऐसे अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता पैदा हो गयी है जिसकी उस वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरण में कल्पना नही की गई थी;

और चूंकि लोक-सभा का सत्र नहीं चल रहा है और संसद् द्वारा ऐसे व्यय की स्वीकृति प्राप्त होने तक उस राज्य की समेकित निधि से व्यय करने का प्राधिकार देना आवश्यक है ;

अब, इसलिए, संविधान के अनुच्छेद 357 के खण्ड (1) के उप-खण्ड (ग) के अनुसार, मैं, भारत का राष्ट्रपति, वी० वी० गिरि एतद्द्वारा इस बात का प्राधिकार प्रदान करता हूं कि इस आदेश के साथ संलग्न अनुसूची के स्तम्भ 2 में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में 1972–73 के वित्तीय वर्ष में होने वाले अनेक प्रकार के व्ययों को पूरा करने के लिए आंध्र प्रदेश राज्य की समेकित निधि से, संसद् की स्वीकृति प्राप्त होने तक, उतनी रकमें खर्च की जायं जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 3 में उल्लिखित रकमों से अधिक न हों और जिनका जोड़ पांच करोड़ अस्सी लाख दस हजार रुपये हो ।

अनुसूची

क्रम संख्या	मांग संख्या और सेवा तथा प्रयोजन	निम्नलिखित राशियों से अनधिक		
		आंध्र प्रदेश राज्य की समेकित निधि पर प्रभारित व्यय	आंध्र प्रदेश राज्य की समेकित निधि से किया जाने वाला अन्य व्यय	जोड़
1	2		3	
		रु०	रु०	रु०
1	XVII शिक्षा . .	. .	10,46,000	10,46,000
2	XIX लोक-स्वास्थ्य और परिवार नियोजन . .	. .	43,20,000	43,20,000
3	XXV सामुदायिक विकास परियोजनाएं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा और स्थानीय विकास कार्य . .	. .	75,00,000	75,00,000

1	2		3	
4	XXVII	अन्य विविध सामाजिक और विकास-संगठन	..	1,27,81,000	1,27,81,000
5	XLIX	सिंचाई पर पूंजी परिव्यय	..	2,86,69,000	2,86,69,000
6	LVI	राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम .	..	36,94,000	36,94,000
			..	5,80,10,000	5,80,10,000

वी० वी० गिरि,
राष्ट्रपति ।

[सं० एफ० 3(15)-बी/73]

बी० मैत्रेयन्,
संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI. 1973